न्यायालय अति0जिला कलेक्टर,टोंक

(सुखराम खोखर,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 34/2011
प्रविष्टि दिनांक 05.08.2011

सरकार जरिये तहसीलदार मालपुरा जिला टोंक

............प्रार्थी

बनाम

सायरपुरी पुत्र जुवाहरपुरी जाति गुसाई निवासी बालापुरा तन मलिकपुर तहसील मालपुरा जिला टोंक

.... अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) भू–आवंटन नियम 1970

उपस्थिति : (1) श्री जुगनू शर्मा, पेरोकार सरकार
(2) श्री जितेन्द्र कुमार जैन, अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय **दिनांक 13.02.2020**

न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) आवंटन नियम 1970 स्वीकार कर निर्णय दिंनाक 29.09.2005 से प्रतिपक्षी सायरपुरी पुत्र जुवाहरपुरी जाति गुसाई निवासी बालापुरा तन मलिकपुर को दिनांक 07.06.1996 को ग्राम मलिकपुर तहसील मालपुरा के आराजी खसरा नम्बर 1498/1 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा एंव खसरा नम्बर 1500/3/1 रकबा 2 बीघा कुल 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि का भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया आवंटन निरस्त किये जाने पर प्रतिपक्षी ने व्यथित होकर न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील अधिकारी टोंक के यहां अपील प्रस्तुत की। न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील अधिकारी टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 15.06.2011 द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.09.2005 को अपास्त कर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गई है कि प्रकरण मे अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर पुनःनर्णय पारित करे। निर्णय पारित होने तक राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा अभिभाषकगण की वहस सुनी गई।

विद्वान पेरोकार सरकार ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी को भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विवादित भूमि खसरा नम्बर 1498/1 रकवा 3 बीघा 10 बिस्वा एंव खसरा नम्बर 1500/3/1 रकवा 2 बीघा कुल 5 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम मलिकपुर तहसील

वाचारवत जिला कलेक्टर टोंक

Scanned by CamScanner

मालपुरा को कृषि प्रयोजनार्थ दिनांक 07.06.1996 को आवंटित की गई थी। अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर काश्त नही की है। विवादित भूमि की किस्म गै0मु0 खारडा दर्ज है जो आवंटन योग्य नही थी साथ ही आवंटी द्वारा भूमि पर काश्त न कर आवंटन शर्तो का उल्लघंन किया है। अतः विवादित भूमि का किया गया आवंटन निरस्त योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस मे कथन किया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 1498/1 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा एंव खसरा नम्बर 1500/3/1 रकबा 2 बीघा कुल 5 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम मलिकपुर तहसील मालपुरा को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 07.06.1996 को आवंटित की गई थी। आवंटन के पश्चात अप्रार्थी आवंटित भूमि पर लगातार काबिज चला आ रहा है। अप्रार्थी उक्त भूमि पर अपने जानवर आदि बांधने,जानवरो के लिए चारा पेदा करने व चारा चराने आदि के रूप मे उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। आज भी मौके पर अप्रार्थी का कब्जा है। मौके पर गाय,भेस व अन्य जानवर बांधता है और चारा रखता है तथा जानवरो के चरने के लिए चारा उगाता है। आवंटन के समय भूमि की किस्म सिवायचक थी। आवंटन नियमानुसार किया गया है।अप्रार्थी सद्भावी कृषक भी है। विवादित भूमि अप्रार्थी की गैर खातेदारी मे दर्ज है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं आवंटन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। आवंटन पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि अप्रार्थी सायरपुरी पुत्र जुवाहरपुरी जाति गुसाई निवासी मलिकपुर को भू–आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा दिनाक 07.06.1996 को आ0ख0नं0 1498/1 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा एंव खसरा नम्बर 1500/3/1 रकबा 2 बीघा कुल 5 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम मलिकपुर तहसील मालपुरा मे आवंटन किया गया है।

पेरोकार सरकार का तर्क है कि तहसीलदार मालपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे संलग्न रिपोर्ट पटवारी दिनांक 18.10.2004 अनुसार आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा नही है। उक्त भूमि आवंटन पत्रावली मे अंकित वरवक्त आवंटन पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 07.06.1996 अनुसार विवादित भूमि गैर मु0 खारडा सिवायचक दर्ज है। आवंटित भूमि आवंटी की गैर खातेदारी मे दर्ज अवश्य है,परन्तु तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2051–60 अनुसार उक्त भूमि बंजड है। अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना मे प्रथम एंव द्वितीय वर्ष मे कब्जा काश्त नही किया है,इसके उपरान्त भी गैर खातेदारी दी गई जो निरस्त योग्य है।

न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील अधिकारी टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 15.06.2011 मे दिये गये निर्देशो की पालना मे अप्रार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरान्त भी अप्रार्थी और न ही अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा कोई साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत किये है,जिससे यह साबित हो कि अप्रार्थी ने विवादित भूमि पर फसल काश्त की हो।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1970 के नियम 14 की उपधारा (3) मे आवंटिती को आवंटन के प्रथम वर्ष मे भूमि के कम से कम 50

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
— टोंक —

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Scanned by CamScanner

प्रतिशत भाग को जोतना पडेगा और शेष क्षेत्र को दूसरे वर्ष मे आवश्यक रूप से जोतने की शर्त है,परन्तु अप्रार्थी द्वारा उक्त नियम की पालना मे आवंटित भूमि को तत्समय नही जोता तथा उसके पश्चात भी आज तक नही जोता है।

आवंटी द्वारा आवंटित भूमि मे काश्त न: कर आवंटन शर्तो की अवहेलना की है। राज्य सरकार का उद्देश्य भूमिहीन कृषको को भूमि आवंटन कर उनके द्वारा भूमि काश्त कर उसके जीविकोपार्जन हेतु दिये जाना है,परन्तु जब आवंटी द्वारा भूमि काश्त नही की जाती है तो उस आवंटन का कोई औचित्य नही रहता है। अतः ऐसी स्थिति मे आवंटन यथावत रखा जाना न्यायोचित नही है।

फलतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सायरपुरी पुत्र जुवाहरपुरी जाति गुसाई निवासी बालापुरा तन मलिकपुर तहसील मालपुरा को दिनांक 07.06.1996 को ग्राम मलिकपुर की आ0ख0नं0 1498/1 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा एंव खसरा नम्बर 1500/3/1 रकबा 2 बीघा कुल 5 बीघा 10 भूमि का किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखराम खोखर)
अति.जिला कलेक्टर,टोंक
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukh Ram Khokher
Date: 2020.03.19 15:30:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: